MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH UNIVERSITY
Bhatahat, Gorakhpur Uttar Pradesh, India
Temp. Office: I.A.S./P.C.S. Coaching Centre, Near Prem Chand Park, Narmal Campus, Gorakhpur-273001
vc@mggaugkp.ac.in www.mggaugkp.ac.in
Office No.: 0551-2989819

Ref.सं0../AULA026/MGGAU/2022–2023/06, ..03/04/23..

–: सम्बद्धता आदेश :–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत असाधारण गजट संख्या–420/79–वि–1–20–1(क)–8–2020 लखनऊ दिनांक–12.03.2020 एवं संशोधित असाधारण गजट संख्या–76/79–वि0–1–21–2(क)–1–2021 दिनांक–09.01.2021 द्वारा निर्गत महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अधिनियम–2021 के अध्याय–2 की धारा–5 (घ) व अध्याय–5 की धारा–28 के क्रम में कालेज कोड संख्या–**AULA026** प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पीटल, एल 3/81, सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता हेतु किये गये आनलाइन आवेदन एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के आधार पर मा0 कार्य परिषद के सहमति की प्रत्याशा में निम्नलिखित पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2022–2023 हेतु सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है–

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
1	बी0 ए0 एम0 एस0	50 सीट

सम्बद्धता की शर्तें–

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर दिये गये मानकों/निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीट पर ही तथा प्रवेश अनुमति के बिना महाविद्यालय में प्रवेश नही किया जायेगा।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश/विश्वविद्यालय के संविधिक निकाय के निर्गत आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
4. संस्था/महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परिनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा।
5. संस्था/महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लिया जायेगा तथा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संस्था/महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार निर्धारित समयान्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों/उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करेगें।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय–समय पर निर्गत किये गये मानकों/निर्देशों/आदेशों का अनुपालन एवं मानकों की पूर्ति किये जाने की सूचना शपथ पत्र पर समय से प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रेषित किया जायेगा।

कुलसचिव
महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय
गोरखपुर

CamScanner

संख्या–   /सं0/AULA026/MGGAU/2022–2023   दिनांकः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रधानाचार्य/संचालक, प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पीटल, एल 3/81, सेक्टर–डी, अलीगंज, लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

कुलसचिव

कुल सचिव
महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय
गोरखपुर

समस्त पत्र–व्यवहार रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या R-755 /सम्बद्धता/2015

दिनांक 02.12.2015

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव,
प्रबुद्ध मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर,
ग्राम–बक्का खेरा, थरी, माल, मलिहाबाद, लखनऊ।

महोदय,

महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में सत्र 2015–16 से सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक अपने पत्र दिनांक 26.11.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सहयुक्तता प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ कराये गये निरीक्षण में निरीक्षक मण्डल की आख्या के कम एवं प्रस्तुत महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मा0 कुलपति महोदय द्वारा कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में **प्रबुद्ध मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्राम–बक्का खेरा, थरी, माल, मलिहाबाद, लखनऊ में बी0ए0एम0एस0 (50सीट)** पाठ्यक्रम के संचालनार्थ सत्र 2015–16 से **अस्थायी सहयुक्तता** निम्न शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. संस्था द्वारा प्राचार्य/शिक्षक एवं प्रबन्ध समिति का अनुमोदन लखनऊ विश्वविद्यालय से दो माह में प्राप्त कर लिया जायेगा।
2. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी0सी0आई0एम0/मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के रेगुलेशन के निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के साधन/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. संदर्भित पाठ्यक्रम की प्रदत्त सहयुक्तता पूर्णतः सी0सी0आई0एम0 की मान्यता के अधीन होगी अर्थात सी0सी0आई0एम0 की मान्यता होने पर ही प्रवेश लिया जा सकता है।
7. संस्था सी0सी0आई0एम0 के सम्बन्धित पत्र के पाठ्यकम संचालन अनुमति पत्र संख्या : R-12011/09/2013-Ep(LM-1)for 2015-16, दिनांक : 28.10.2015 में वर्णित शर्तों–"It has, therefore, been decided by the Central Government to **grant conditional permission to the Prabudh Ayurvedic Medical Colege, Hospital & Research Centre, Gram-Bakka Khera, Mall Malibabad Road, Lucknow** to take admissions **with 50 seats in (UG) BAMS course** for the academic session 2015-16 under section 13A of the IMCC Act, 1970 subject to the condition that the college shall fulfil the following requirements by **31 December, 2015** which will be verified for granting permission for the academic session 2016-17" :-

   (I) Relevant provisions of the Minimum Standards Requirements of infrastructure and teaching & training facilities as specified in Regulatioon 3 and Regulation 10 of the "Indian Medicine Central Council (Minimum Standard Requirements of Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2012 read with amendment Regulations of 2013 to get conditional permission for the session 2016-17.

   (ii) Relevant requirements under the (Minimum Standard of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 2012 read with amendment Regulations of 2013 (for UG Ayurveda) should be fulfilled. को अवश्य पूर्ण कर लेगी।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

1/XII/15

(डॉ0 अखिलेश मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या : /सम्बद्धता/2015, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0वि0।
4. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
5. उप कुलसचिव (मीटिंग) को संलग्नकों सहित इस आशय से प्रेषित कि कार्य परिषद की आगामी बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

GRAM : UNIVERSITY
FAX : 0512-2570006

☎ 2570301(O)
2570450
2570882(R)

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

Ref.N0-सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब0 / 1501 / 2010 दिनॉक : 14.06.2010

प्रबन्धक,

स्पीड–पोस्ट

प्रस्तावित प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर
10कि0मी0, हरदोई रोड,
लखनऊ ।

विषयः– **प्रस्तावित प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, 10कि0मी0, हरदोई रोड, लखनऊ को (आयुर्वेदाचार्य बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में) स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत सम्बद्धता पूर्व बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति/सहमति पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रस्तावित महाविद्यालय को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने हेतु उक्त कालेज के निरीक्षणार्थ तीन सदस्सीय निरीक्षक मंडल नामित किया गया था । निरीक्षण मंडल की आख्या तथा संलग्न अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन **प्रस्तावित प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, 10कि0मी0, हरदोई रोड, लखनऊ,** को बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार अनापत्ति/सहमति पत्र प्रदान की जाती है ।

1. प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्था को आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज (बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम) संचालित करने की अनुमति तभी होगी जब भारत सरकार के (AYUSH) विभाग/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली से इस आशय का स्पष्ट आदेश हो अर्थात बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु छात्रों के प्रवेश हेतु सीटों का आवंटन हो जाय ।
2. प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश तभी लिया जायेगा जब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (के संशोधित अधिनियम 2007) के धारा 37 (2) के अधीन उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान कर दी जाय तथा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध कर दिया जाये ।
3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का पालन किया जायेगा ।
4. अनापत्ति पत्र/कन्सेण्ट पत्र निगत हाने की तिथि से यदि अधिकतम दो वर्ष की अवधि में आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना/सम्बद्धता नहीं की जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति पत्र/कन्सेण्ट प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

भवदीय

(महेशचन्द्र)
कुलसचिव
11.06.10